सरकूलर नं0ः अपमा / 2018–2020 / 127 दिनांक : 2–12–2019

आप सभी को सूचित किया जाता है कि 20% आईटीसी फार्मूले के नाम से जाना जाने वाले दो आदेश नौ अक्टूबर और ग्यारह नवंबर को जारी किये गयें जिसको लकर पूरे व्यापारी समुदाय में गहन रोष और घबराहट फैली हुई है। जल्दबाजी और बगैर सुझबूझ के बनाये ये आदेश जारी तो किये गये थे गिरते हुए जीएसटी रिवैन्यू को बढ़ाने के उद्देश्य से। पर निशाने पर आ गयें सभी कारोबारी। एसएमई सैक्टर के कारोबारियों पर इन आदेशों की मार ज्यादा ही है।

ऐसा नियम जिसमें सिर्फ इसलिए टैक्स वसूला जा रहा है क्योंकि माल ऐसे व्यापारी से खरीदा है जिसकी एक रिटर्न मंथली ना होकर तिमाही है, पूरी तरह है से व्यापार विरोधी है। एसएमई सैक्टर के ज्यादतर व्यापारी तिमाही जीएसटीआर वन के दायरे में आते हैं और ऐसे व्यापारियों की संख्या करीब अस्सी प्रतिशत है। इसके अलावा इस नियम का हवाला देकर के दूसरे व्यापारियों के द्वारा छोटे व्यापारियों की जीएसटी के बराबर की रकम रोके जाने की कई खबरें मिल रही है।

इसके साथ ही टैक्स–ईन्वाईस और पूरे दस्तावेज होन के बावजूद बायर से ज्यादा टैक्स मांगा जा रहा है सिर्फ इसलिये कि स्पलायर ने अपना जीएसटीआर–वन ग्यारह की जगह बारह नवंबर को फाईल किया है। यह किसी भी तरीके से जायज नहीं है।

ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहें हैं जहां पर टैक्स सिर्फ कुछ हजार ही बनता है या बनता ही नहीं है पर नये बीस प्रतिशत आईटीसी के नियम के चलते लाखों में देना पड़ रहा है। मंदी की मार झेल रहे व्यापार पर ऐसा नियम किसी अत्याचार के कम नहीं है मुख्य रूप से ऐसे समय में जबकि अभी कुछ वक्त पहले ही जीएसटी व्यापारियों को राहत और प्रोत्साहन देने की योजना पर विचार करने की बात बोली गई थी।

व्यापारी वर्ग यह चाहता है कि 20% का नया नियम पूरी तरह से अव्यावहारिक है और नये नियम के आदेश को तुरन्त निरस्त किया जाये। जीएसटी की क्लैक्शन में बढ़ोतरी के लिये सरकार द्वारा दूसरे उपायो पर गौर किया जाना चाहिये।

कृ0प0उ0...............2

साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे व्यापारियों के ऊपर जीएसटी टैक्स 20% आईटीसी फार्मूले लागू किया गया है जिसका दिल्ली की अन्य संस्थाओं के साथ–साथ आपकी संस्था 'अपमा' भी इस आईटीसी फार्मूले का घोर विरोध करती है। 20% आईटीसी फार्मूले के खिलाफ आपकी संस्था दिल्ली अन्य व्यापारिक संस्थाओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेगी जिसकी सूचना आप सभी को सरकूलर के माध्यम से दी जाऐगी।

''आपके हितों के सदैव संघर्षरत, आपकी अपनी अपमा''।

सरकूलर नं0: अपमा/2018–2020/128

''सूचनार्थ''

जैसा कि आप सभी व्यापारी भाईयों को अपमा कलेण्डर 2019 के माध्यम से पूर्व में सूचित किया गया था कि ''श्री गुरू तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी दिवस'' 12 दिसम्बर 2019 को मनाया जाऐगा। आपकी संस्था ''अपमा'' को दिल्ली सिख गुरूद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से प्राप्त सूचना अनुसार ''श्री गुरू तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी गुरूपर्व 1 दिसम्बर 2019 को मनाया जा चुका है। इसलिए अब 12 दिसम्बर 2019 को मार्किट में अवकाश नहीं रहेगा। कृपया ध्यान देवें।

(विनय नारंग)
महासचिव